

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ0ग0) एवं पदेन उपसचिव छ0ग0 शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग**

—:: अधिसूचना ::—

क्रमांक / 9267 / भू-अर्जन / 2023

कोरबा ,दिनांक 03 / 07 / 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि की मेरई-करांडाड मार्ग में तान नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-पोंड़ी उपरोड़ा
(ग) ग्राम - मेरई
(घ) क्षेत्रफल- 0.390 हे०

क.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे० में)
1	104 / 1	0.390
कुल योग:—	1	0.390

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(रा.) पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
(3) प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पोंड़ी उपरोड़ा

(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर,
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग